राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4421/2024

दिनेश चन्द शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, जल संसाधन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अति. मुख्य अभियंता, , जल संसाधन, संभाग जयपुर।
3. अधिक्षण अभियंता, , जल संसाधन वृत, भरतपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.12.2024
आदेश की दिनांक : 09.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में दिनांक 30.09.2010 को मुंशी के पद से सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग उपमंडल हलैना, भरतपुर से सेवानिवृत हो चुका है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मुंशी के पद पर दिनांक 01.04.1971 को हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवापूर्ण करने पर चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला 5500–9000 स्वीकृत की गई है, जबकि अपीलार्थी वेतन श्रृंखला 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही दे दी गई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.10.2000 (अनुलग्नक–1) के द्वारा 27 वर्ष की सेवापूर्ण करने पर वेतन श्रृंखला 6500–10500 दिये जाने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 2 से मार्गदर्शन चाहा गया था। परन्तु अपीलार्थी को उक्तानुसार वेतन श्रृंखला 6500–10500 अभी तक नहीं दी गई है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अपीलार्थी ने विद्वान् अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 01.12.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को विधिक नोटिस दिया जाकर अपीलार्थी द्वारा 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतन

श्रृंखला 6500–10500 दिये जाने का अनुरोध किया है। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने विधिक नोटिस पर कोई कार्यवाही नहीं की। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी द्वारा 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतन श्रृंखला 6500–10500 दी जाकर वेतन एवं समस्त पारिणामिक तथा सेवानिवृत्ति लाभ 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 02 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष